जल प्रदूषण

जल का सेवन योग्य न रह जाना जल प्रदूषण कहलाता है जल प्रदूषण की समस्या मानवता की सबसे बड़ी समस्या है। जल प्रदूषण के बहुत से कारण है औद्योगीकरण से उद्योग से निकलने वाला कचड़ा सीबर के माध्यम से या अन्य माध्यम से या नदियो में या जमीन मे या नगरपालिका सीबर में डाल देते है। जिससे जल प्रदूषण होता है[2]।

भारत में 200 मिलियन लोगों के पास शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। और 1.5 मिलियन बच्चें जो पांच साल से छोटे हैं, प्रत्येक साल जल से होने वाली बिमारी से पीड़ित रहते हैं। 200 मिलियन लोग पिछले साल और प्रत्येक साल 36000 करोड लोग जल कि बिमारी से पीड़ित होते है। सबसे ज्यादा जल प्रदूषण घरेलू सेक्टर से होता हैं फिर औद्योगिक, फिर कृषि क्षेत्र से और भारत में 115 मिलियन लोगों के घर में शौचालय नहीं हैं।

जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव द्वारा जल का गलत तरीके से उपयोग करना है। सन् 1989 में केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा प्रथम श्रेणी के 212 शहरो का सर्वेक्षण किया गया, पता चला कि इनसे कुल मिलाकर प्रतिदिन 121450 क़रोड़ लीटर गंदा पानी निष्कासित किया जाता है। इस पानी का उपचार एक खर्चीली व्यवस्था है इसलिए विज्ञानिको ने इस पानी को बागवानी तथा कृषि कार्यो के सिचांई के लिए उपयोग रखने का विचार किया इन प्रयोगो से काफी

Scanned by CamScanner

आशाजनक परिणाम मिले।

पालके बनाम वी–पी अय्यास्वामी[1]–इस मामले मे मद्रास उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि, जल प्रदूषण से आशय है जल के प्राकृतिक गुणो मे ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा वह ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए, जिसके लिए स्वभावतः उपयोग में लाया जाता है कम उपयोगी हो जाए।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 2(ड.) में जल प्रदूषण की अति विशद व्याख्या की गई है[2]।

'प्रदूषण से जल का ऐसा संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों का ऐसा परिवर्तन या किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव या किसी अन्य द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ का जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से) ऐसा निस्सरण अभिप्रेत है। जो न्यूसेंस उत्पन्न करें या जिससे न्यूसेस उत्पन्न होना सम्भाव्य हो या ऐसे जल को लोक स्वास्थ्य, क्षेम या घरेलू वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य विधि सम्मत उपयोगो के लिए या जीव–जन्तुओं या पौधो या जलीय जीवो के जीवन स्वास्थ्य के लिए अपहानि कर या क्षतिकर बनाता है' या बनाना सम्भाव्य बनाता है।

भारतीय दंड संहिता की **धारा 277** में जल प्रदूषण कृत्य को अपराध घोषित करते हुए कहा गया है। कि 'जो कोई (व्यक्ति) किसी लोक जल स्त्रोत अथवा जलाशय के जल को स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या कुलषित करेगा, जो उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो कम उपयोगी हो जाए, वह तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से, जो 500 रू. तक हो सकेगा या दोनो से दंडित किया जाऐगा[3]।

विभिन्न परिभाषाओं से जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित बाते स्पष्ट होती हैं

1. जल प्रदूषण, जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणो में विपरित परिवर्तन है।
2. यह जल की गुणवत्ता में ह्रास उत्पन्न करता हैं और इसका उपयोग हानिकर बनाता है।

Scanned by CamScanner

3. यह प्रदूषण किसी बाह्य पदार्थ द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चाहे वे प्राकृतिक स्त्रोतो से उत्पन्न हो चाहे मानवीय कृत्य के परिणाम हो।

4. प्रदूषित जल मानव सहित किसी जीव जन्तु स्थलीय या जलीय के लिऐ हानिकर हो जाता हैं

जल प्रदूषणो के आधार पर इन्हें चार वर्गो में बांटा गया है।

1. औद्योगिक प्रदूषण– औद्योगिक अपशिष्ट, आणविक कचरा आदि।
2. कृषिजन्य प्रूदषण– कीटनाशी एवं रासायनिक उर्वरक, आदि।
3. नगरीय प्रदूषण– वाहनों से उत्सर्जित आयन, गन्दा जल, मल–मूत्र, कचरा, कूडा–कचरा, मृत शरीर आदि।
4. प्राकृतिक प्रदूषण–अपरदन, अवसाद, विघटित जैविक सामग्री।

संयुक्त राष्ट्र कि विश्व जल संसाधन रिपोर्ट[1] के अनुसार पेय जल गुणवक्ता में विश्व के 122 देशों में भारत 120वें स्थान पर है। जल उपलब्धता के सूचकांक ने 180 देशों में भारत का एक 133वां स्थान है। भारत सरकार के आंकडो को देखे तो देश के प्रति जल उपलब्धता कितनी है। तो 1997 में 2000 घन मीटर जल उपलब्धता रह गई हैं। आज की परिस्थिति में 2017 में जल उपलब्धता 1600 घन मीटर रह जाएगी। 2025 में 750 घन मीटर जल उपलब्धता भयावह परिस्थितयां पैदा करेंगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व की जल विकास रिपोर्ट में भारत को सबसे प्रदूषित पेय जल की आपूर्ति वाला देश कहा गया है। जल की गुणवक्ता के आधार पर भारत विश्व में 120वें स्थान पर है।

रतलाम नगरपालिका बनाम वर्धीचंद[2] –इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 में कुछ कर्तव्य दिए गए है। इससे नगरपालिका की जिम्मेदारी है, कि जनता की रोड़, स्थान, नाली और अन्य स्थानों जो प्राइवेट सम्पत्ति नहीं है। जनता के मनोरंजन के स्थान है। पर प्रदूषण फेलने से रोकें।

Scanned by CamScanner

सर्वोच्च न्यायालय ने नगरपालिका की इस तर्क को अस्वीकार दिया कि आर्थिक रिसोर्स के न होने से इस कर्तव्य को पूरा नहीं किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी.आर.कृष्णा अय्यर और चिन्नपा रेड्डी ने निर्णय दिया कि पब्लिक प्रदूषण के निकास के लिए नगरपालिका यह तर्क नहीं दे सकती कि आर्थिक अभाव के कारण वह प्रदूषण नहीं हटा सकता।

उच्चतम न्यायालय ने नगरपालिका का यह प्राथमिक कर्तव्य माना कि वह नागरिको के स्वास्थ्य की रक्षा करें।

ए.जगन्नाथ बनाम भारत संघ[1] इस मामले में एक लोकहित वाद दायरकर समुद्रतटीय क्षेत्रों में आधुनिक रीति से दस पैर वाले केकड़े के पालन की गतिविधि से उत्पन्न पारिस्थेतिकी तल को खतरे और उच्च प्रदूषण बहिस्त्राव, जल प्रदूषण और समुद्र किनारे पहुंच में व्यवधान की चुनौति दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समुद्रीय तट प्रकृति की देन है। उन्हें प्रदूषित करने की छूट नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने पर्यावरण के विरूद्ध होने के कारण केकडा पालन को बंद करने का आदेश दिया।

विनित कुमार माथुर बनाम भारत संघ[2]–इस बाद में एक लोकहित वाद यह आरोपित करते हुए संस्थित कि गई की, मोहन मीकिंग लिमिटेड डिस्टलरी कम्पनी के बहिःस्त्राव से गोमती नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि नियत समय के भीतर बहिस्त्राव उपचार सयंत्र कि कमियों को दूर किया जाए। न्यायालय के आदेश की उल्लंघन की दशा में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि चार माह के अन्दर गोमती नदी सफाई से सम्बन्धित पांच लाख रूपया न्यायालय में जमा किया जाए।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ[3]– उच्चतम न्यायालय ने समस्या की तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है।

Scanned by CamScanner

कि क्या विकासशील देशो द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कैसे उपायो का खर्च वहन किया जा सकता है। बल्कि यह है। कि क्या वे इसे नजर अंदाज कर सकते है। पश्चातवर्ती बिंदु का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है। कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपायो के अभाव में एक राष्ट्र ज्यादा गम्भीर समस्या से उलझेगा कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए किस तरह वह स्वस्थ और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करे। यदि विकासशील देश अपने औद्योगीकरण के प्रारम्भिक चरणों में उचित प्रदूषण नीति अपना लेते है तो भूतकाल में विभिन्न विकसित देशों द्वारा की गयी महंगी भूल को बचा सकते है। फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब तक पर्याप्त क्षति कारित न हो जाए सामान्य प्रदूषण निंयत्रण के महत्व को नहीं समझा जाता है।

Scanned by CamScanner